

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-412-औ०सं०/2022-64-ए०एस०/02

दिनांक 23 जनवरी, 2023

ई-मेल/तत्काल कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल

विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषय:-विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं की मांगों को लेकर दिनांक 31.01.2023 से चरणबद्ध जन-जागरण रैली करने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र०" ने पत्र संख्या-136/संघर्ष दिनांक 18.01.2023 एवं पत्र संख्या-139/संघर्ष दिनांक 21.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं की कतिपय मांगों को लेकर समस्त परियोजना मुख्यालयों एवं डिस्कॉम मुख्यालयों पर दिनांक 31 जनवरी, 2023 से चरणबद्ध जन-जागरण रैली करने का नोटिस दिया है।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2093/24-पी-2-2022-1(121)/04 दिनांक 04.01.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या-215-औ०सं०-17/पाकालि/2023-159-ए/67 दिनांक 16.01.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु, अवैधानिक भी है।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ०सं०/17/पाकालि/2001-3 ए०/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं, जिसके परिणाम से सेवा में व्यवधान (Break in Service) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा दिनांक 31.01.2023 से प्रस्तावित चरणबद्ध ध्यानाकर्षण/जन-जागरण रैली के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

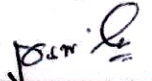
संख्या-412-औ०सं०/2023, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वान्वल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
5. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
7. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा-शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (कार्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइटपर लोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।


(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ - 226001

पत्र सं : 136/संघर्ष

18 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा),

उप्र शासन,

लखनऊ।

विषय :- 03 दिसम्बर 2022 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र एवं मा. ऊर्जा मंत्री जी, उप्र सरकार के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की सूचना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पत्र सं0 126 दिनांक 20.12.2022, सं0 129 दिनांक 24.12.2022, सं0 132 दिनांक 29.12.2022, सं0 133 दिनांक 03.01.2023 को संदर्भित करने की कृपा करें।

- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र की 18 जनवरी 2023 को हुई बैठक में मा. ऊर्जा मंत्री एवं मुख्य सलाहकार मा. मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में 03 दिसम्बर 2022 को हुए लिखित समझौते के डेढ़ माह बाद भी, समझौते के किसी भी बिन्दु का क्रियान्वयन न होने पर गंभीर चिन्ता प्रकट की गयी।
- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने समझौते के क्रियान्वयन न किये जाने पर ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन विशेषतया चेयरमैन के स्वेच्छाचारी रवैये को उत्तरदायी ठहराते हुए इसे अत्यन्त गंभीर विषय बताया। समझौते के अन्य बिन्दुओं के साथ ऊर्जा निगमों में सुधार हेतु श्रम संघों के साथ समझौते के अनुरूप मासिक बैठक करना तक ऊर्जा निगमों के चेयरमैन ने आवश्यक नहीं समझा जो बिजली व्यवस्था में सुधार के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है।
- समझौते के किसी भी बिन्दु का आज तक न ही क्रियान्वयन किया गया और न ही ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु शीर्ष प्रबन्धन द्वारा कोई प्रयास किया गया है। इसके विपरीत समझौते का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर पारेषण में निजीकरण की गतिविधियाँ जारी हैं, जिससे बिजली कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। कार्य के वातावरण को बिगाड़ने और बिजली कर्मियों को दण्डित करने की मानसिकता से आये दिन बिना संसाधनों के अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं।

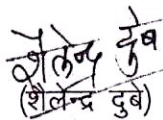
महोदय, आपको विदित ही है कि न ही समझौते का पालन हो रहा है और न ही कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियन्ताओं में भारी रोष व्याप्त है।

- अतः विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र आपको यह सूचित करना चाहती है कि मा. ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार एवं मुख्य सलाहकार मा. मुख्यमंत्री, उप्र सरकार की अध्यक्षता में हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु सरकार/प्रबन्धन का ध्यानाकर्षण करने हेतु बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियन्ता समस्त परियोजना मुख्यालयों एवं डिस्कॉम मुख्यालयों पर 31 जनवरी, 2022 से "समझौता लागू करो - जन जागरण रैली" शान्तिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से करने हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन की होगी।

आदर सहित।

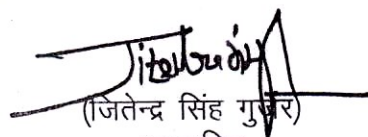
भवदीय

संलग्नक - 03.12.2022 का समझौता।


(शिकर दुबे)

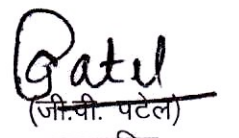
संयोजक

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष
समिति, उप्र


(जितेन्द्र सिंह गुप्ता)

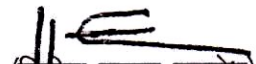
महासचिव

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता
संघ

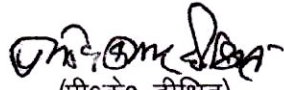

(जी.वी. पटेल)

महासचिव

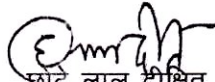
राविप जूनियर इंजीनियर्स संगठन,
उप्र


(गिरिश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री

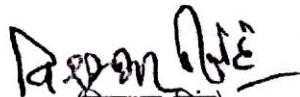
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र


(पी०के० दीक्षित)
प्रमुख महामंत्री

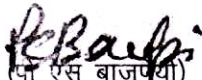
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र


छोटे लाल दीक्षित
प्रान्तीय अध्यक्ष

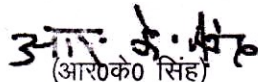
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उप्र


(विशम्बर सिंह)
महामंत्री

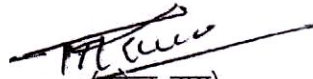
यूपी बिजली बोर्ड इम्प. यू. उप्र(सीटू)


(जे एस बाजपयी)
अध्यक्ष

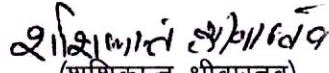
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ


(आर०के० सिंह)
अध्यक्ष

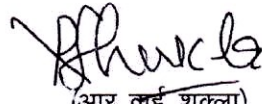
उप्र राविप लेखा संघ


(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री

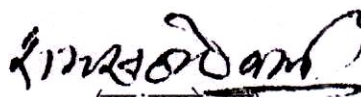
उप्र बिजली कर्मचारी संघ


(शशिकान्त श्रीवास्तव)
महामंत्री

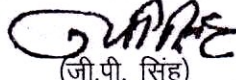
उप्र विद्युत मजदूर संघ


(आर काई शुक्ला)
अध्यक्ष

विद्युत मजदूर संगठन, उप्र


(राम सहारे रमा)
प्रान्तीय महामंत्री

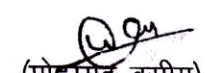
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र


(जी.पी. सिंह)
महामंत्री

विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन


(शुहैले आबिद)
महामंत्री

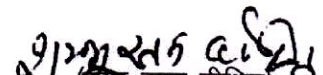
उप्र बिजली मजदूर संगठन


(मोहम्मद वसीम)
केन्द्रीय महासचिव

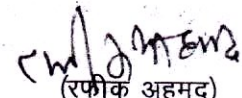
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ,
उप्र


(योगेन्द्र कुमार)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उप्र


(शशिकान्त दीक्षित)
अध्यक्ष

उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ


(रफीक अहमद)
अध्यक्ष

विद्युत मजदूर यूनियन उप्र
(एचएमएस)

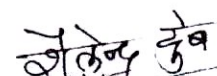
प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :-

1. मा० मुख्यमंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. श्री अवनीश अवस्थी, मुख्य सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री, उप्र, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उप्रपाकालि/उप्रपाट्राकालि/उप्रराविउनिलि/उप्रजविनिलि, लखनऊ।


(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक


(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उद्योग)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP199993GCC024928

शक्ति भवन, लखनऊ-226001

संख्या-215-औ०सं०-17/पाकालि/2023-159-ए/67

दिनांक 16 जनवरी, 2023

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,

विद्युत वितरण निगम लि०, एवं केस्को,

वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय :- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन ऊर्जा अनुभाग-2 की अधिसूचना आदेश सं०-2093/24-पी-2-2022-1(121)/04 दिनांक 04.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-215 (I)औ०सं०-17/पाकालि/2023-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन अनुभाग-2 की अधिसूचना आदेश सं०-2093/24-पी-2-2022-1(121)/04 दिनांक 04.01.2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (हार्डिबिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Pranav

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-215 (II) औ०सं०-17/पाकालि/2023/तददिनांक:-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या:-2093/24-पी-2-2022-1(121)/04
लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2023

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी, कैस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 2093 (1)/24-पी-2-2022-1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,



(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

संख्या:- 2093(2)/24-पी-2-2022-1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- (8) सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
- (9) विधायी अनुभाग-1।
- (10) भ्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कम्पनी (केस्को), कानपुर।
- (12) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- (13) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- (14) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- (15) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- (16) गणन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,



(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2093/24-P-2-2022-1(121)/2004, dated- 04-01-2023.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 2093/24-P-2-2022-1(121)/04
Dated, Lucknow: 04-01-2023

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY